

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

दावा वगैरे बनाम देवी वगैरे

किस्म मुकदमा दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा मु०नं० 15 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/208

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुए

025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री होशियार सिंह बड़सरा एड. उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 16.05.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच  
आज अदालती कार्य का स्थगन कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 28/7/25 को पेश हो।

28/7 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच  
आज अदालती कार्य का स्थगन कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 17/10/25 को पेश हो।

14.10.2025 पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय उमयपत्रकारान  
अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगाई गयी। वादीगण,  
प्रतिवादीगण एवं वकील पत्रकारान में से ब्लॉक की  
बार-बार आवाज लगाने उपरान्त भी हाजिर  
अदालत नहीं आए। अतः पत्रकारान की अनुपस्थिति  
में वादपत्र अहम हाजरी व अहम पेशी में  
खारिज किया जाता है। पत्रावली के लख शुमार  
होकर नम्बर से कम हो व हाजिर दफ्तर ही  
उक्त निर्णय सरे इजलास में लुजाया गया।

